रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-जी.जे.-अ.-24072025-264927 CG-GJ-E-24072025-264927

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] No. 522] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2025/श्रावण 1, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2025/SHRAVANA 1, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 21 जुलाई, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम और सहायक अनुदेश बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2025

आईएफएससीए/जीएन/2025/006.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम और सहायक अनुदेश बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) इन विनियमों में उपलब्ध अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

4922 GI/2025 (1)

2. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 से है;
 - (ख) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
 - (ग) "सार्वजनिक टिप्पणियाँ" का तात्पर्य प्रस्तावित विनियम(मों) या अनुषंगी अनुदेश(शों) या इनके संशोधन(नों) के संबंध में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के प्रत्युत्तर में वित्तीय संस्थानों, हितधारकों और वित्तीय सेवा बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त संगठनों सहित किसी भी व्यक्ति से प्राप्त टिप्पणियों से है:
 - (घ) "विनियम" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए "विनियम" से है; और
 - (ङ) "अनुषंगी अनुदेश" का तात्पर्य प्राधिकरण या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित दस्तावेज़ से है जिसे ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं और जो परिपत्र, दिशानिदेश, फ्रेमवर्क या किसी अन्य लिखत, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाए, के रूप में जारी की सकती है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन में, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय 2

विनियम और सहायक अनुदेश बनाना

3. विनियम बनाना।

प्राधिकरण अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, निम्नांकित विनियम 5 और 6 के अनुपालन में, विनियम बना सकता है।

4. सहायक अनुदेश बनाना

- (1) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी विनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सहायक अनुदेश जारी किए जा सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - (क) किसी वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवा या वित्तीय संस्थान के संबंध में, अनुपालन किए जाने वाले नियम, शर्तें या आवश्यकताएँ प्रदान करना;
 - (ख) किसी उपबंध के अर्थ, दायरे या आशय को रेखांकित करना;
 - (ग) किसी उपबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करना;
 - (घ) कोई प्रक्रियात्मक अपेक्षा निर्धारित करना; या
 - (ङ) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक किसी अन्य मामले पर विचार करना।

भारत का राजपत्र : असाधारण

(2) उप-विनियम (1) के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी भी सहायक अनुदेश को जारी करने से पहले, विनियम 5 और 7 के अंतर्गत निर्दिष्ट सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

अध्याय III

सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया, विनियमों और सहायक अनुदेशों का अनुमोदन

प्रस्तावित विनियमों या सहायक अनुदेशों का परामर्श पत्र प्रकाशित करना।

विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट विनियमों या सहायक अनुदेशों को बनाने से पहले, प्राधिकरण की वेबसाइट पर परामर्श पत्र प्रकाशित करके सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाएँगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (क) प्रस्तावित विनियमों या सहायक अनुदेशों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण एजेंसियों द्वारा समर्थित मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं, यदि कोई हों, का विवरण:
- (ख) प्रस्तावित विनियमों या सहायक अनुदेशों द्वारा संबोधित की जाने वाली समस्या(ओं), यदि कोई हों, का विवरण;
- (ग) प्रस्तावित विनियमों या सहायक अनुदेशों के नियामक आशय और उद्देश्यों का विवरण;
- (घ) किसी अधिनियम(यों) या विनियमों का विशिष्ट उपबंध जिसके अंतर्गत प्राधिकरण, यथास्थिति, विनियमों या सहायक अनुदेशों का प्रस्ताव करता है;
- (ङ) प्रस्तावित विनियमों या सहायक अनुदेशों का प्रारूप; और
- (च) सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने का तरीका, प्रक्रिया और समय-सीमा।

6. प्रस्तावित विनियमों के लिए सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया

(1) प्राधिकरण सामान्यतः सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 21 कैलेंडर दिन प्रदान करेगा।

बशर्ते कि अध्यक्ष, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, समय अवधि को कम कर सकता है या सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि अध्यक्ष का ऐसा निर्णय प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

- (2) सार्वजनिक परामर्श के बाद, प्रस्तावित विनियम, सार्वजनिक टिप्पणियों के संकलन या उन पर टिप्पणियों सहित उनके सारांश वाली कार्यसूची सहित, प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।
- (3) प्रस्तावित विनियमों पर प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2020 के अनुसार विचार किया जा सकता है।

- (4) यदि प्राधिकरण संशोधित मसौदा विनियमों को अनुमोदित करने का निर्णय लेता है, जो उसके समक्ष रखे गए प्रस्तावित विनियमों से मूलतः भिन्न है, तो वह ऐसे विचलन के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
- (5) प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों का सारांश, प्राप्त टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया का एक सामान्य विवरण और प्राधिकरण द्वारा किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके औचित्य सहित, विनियमों की अधिसूचना से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- (6) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने पर विनियमों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
- (7) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की जाँच करने पर, यदि यह आवश्यक हो कि प्रस्तावित विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हैं, और अध्यक्ष का विचार है कि प्रस्तावित विनियमों में किए गए ऐसे संशोधन परामर्श पत्र में निर्धारित संशोधनों से काफी भिन्न होंगे, तो वह सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया को दोहराने का निदेश दे सकते हैं।

7. प्रस्तावित सहायक अनुदेश के लिए सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया

- (1) प्राधिकरण सामान्यतः सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 21 कैलेंडर दिन प्रदान करेगा।
 - बशर्ते कि अध्यक्ष, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं या इसकी समयाविध कम कर सकते हैं:
 - बशर्ते कि अध्यक्ष का ऐसा प्रत्येक निर्णय प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) प्रस्तावित सहायक अनुदेश पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की समीक्षा की जाएगी और जहाँ आवश्यक हो. संशोधन प्रस्तावित किए जाएँगे।
- (3) संशोधित प्रस्तावित सहायक अनुदेश, सार्वजनिक टिप्पणियों के संकलन सहित, या उन पर टिप्पणियों सहित उनका सारांश, प्राधिकरण या ऐसा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों।
- (4) प्रस्तावित सहायक अनुदेश को प्राधिकरण द्वारा या ऐसे अधिकारी, जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- (5) प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों का सारांश, सहायक अनुदेश जारी करने से पहले, टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया के सामान्य विवरण के साथ, प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

8. अतिरिक्त परामर्श तंत्र (तत्रों) और समिति (ओं) का गठन

- (1) उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, हितधारक(कों), जैसा भी उचित समझे, के साथ बातचीत करने के लिए अतिरिक्त तंत्र(तंत्रों) का पता लगा सकता है।
- (2) प्राधिकरण, इन विनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रारूपण या समीक्षा के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, विशेषज्ञ या सलाहकार समितियों, जैसा वह उचित समझे, का गठन और उनसे परामर्श कर सकता है।

(3) प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, नियामक प्रभाव आकलन के प्रयोजनार्थ, यथोचित शर्तों पर, उच्च-प्राथमिकता वाले नियामक विषयों का केंद्रित और स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र विषयगत समीक्षा समिति (आईटीआरसी) का गठन कर सकता है।

9. आपात स्थिति में बनाए गए विनियम

जहाँ प्राधिकरण की राय है कि वित्तीय सेवा बाज़ार के विकास और विनियमन के हित में यह समीचीन है कि सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में लगने वाला समय प्रस्तावित विनियमों के उद्देश्य को विफल कर देगा या समस्या या बाज़ार विफलता के निवारण में अनुचित विलंब का कारण बन सकता है, वहाँ प्राधिकरण इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

अध्याय IV

विनियमों और सहायक अनुदेशों का संशोधन और समीक्षा

10. विनियमों और सहायक अनुदेशों में संशोधन

विनियम 6 और 9 के उपबंधों के अध्यधीन, विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत बनाए गए विद्यमान विनियमों या सहायक अनुदेशों में संशोधन, अध्याय III के उपबंधों के अनुपालन में किया जाएगा।

11. विनियमों की समीक्षा

- (1) विनियम 3 के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक विनियम की समीक्षा, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पाँच वर्ष में की जाएगी, जब तक कि यह समीक्षा इस अविध से पूर्व अपेक्षित न हो:
 - (क) इसके उद्देश्य;
 - (ख) इसके परिणाम:
 - (ग) इसके कार्यान्वयन का अनुभव;
 - (घ) इसके प्रवर्तन और संबंधित मुकदमेबाजी का अनुभव;
 - (ङ) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ, यदि कोई हों:
 - (च) परिवर्तित परिवेश में इसकी प्रासंगिकता;
 - (छ) अतिरेक को कम करने की संभावना;
 - (ज) व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना; और
 - (झ) प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझा जाने वाला कोई अन्य कारक।
- (2) समीक्षा के अनुसरण में, यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, तो विनियम को अध्याय III के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

अध्याय V

विविध

12. कुछ मामलों के बारे में अप्रयोज्यता

- (1) इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -
 - (क) प्राधिकरण के आंतरिक संगठनात्मक मामले, जिनमें इसकी बैठकों के संचालन, प्रशासन और इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले मामले शामिल हैं;
 - (ख) विनियम और सहायक अनुदेश जो प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित हैं या वे जो अध्यक्ष की राय में, किसी भी मूल नीतिगत परिवर्तन का कारण नहीं बन सकते हैं;

- (ग) ऐसे मामले जहाँ निर्णय अन्य सरकारी प्राधिकरणों या वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के समन्वय से लिया जा रहा हो:
- (घ) बाज़ार अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले जहाँ नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए व्यापक सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता नहीं हो सकती है; या
- (ङ) ऐसे मामले जहाँ विनियमों या सहायक अनुदेशों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों या ऐसी अन्य व्यवस्थाओं से उत्पन्न किसी अन्य दायित्व के अनुपालन में बनाया जाना आवश्यक हो और सार्वजनिक परामर्श से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा न हो।
- (2) प्राधिकरण को ऐसे मामलों की जानकारी दी जाएगी जहाँ इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया लागू नहीं होती है।

13. निरसन और व्यावृत्तियाँ

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021 निरस्त माने जाएँगे।
- (2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त विनियमों के अंतर्गत की गई या आरंभ की गई या किए जाने का दावा की गई कोई भी कार्रवाई, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अंतर्गत की गई या शुरू की गई मानी जाएगी।
- (3) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व जारी किए गए सहायक अनुदेश इन विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए माने जाएँगे।
- (4) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व या बाद में जारी किए गए कोई भी विनियम और सहायक अनुदेश, या उक्त विनियमों और सहायक अनुदेशों के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई, केवल इस कारण अमान्य नहीं होगी कि इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./255/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 21st July, 2025

International Financial Services Centres Authority (Procedure for making regulations and subsidiary instructions) Regulations, 2025.

IFSCA/GN/2025/006—. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Procedure for making regulations and subsidiary instructions) Regulations, 2025.
- (2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019;
 - (b) "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (c) "public comments" means the comments received, in response to public consultation process regarding proposed regulation(s) or subsidiary instruction(s) or amendment(s) thereof, from any person including financial institutions, stakeholders and organisations directly or indirectly engaged in the financial services market;
 - (d) "regulations" means the "regulations" made by the Authority in exercise of the powers conferred under section 28 of the Act; and
 - (e) "subsidiary instruction" means an instrument approved by the Authority or such other officer to whom such power is delegated and issued in the form of circular, guideline, framework or any other instrument by whatever name called.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

MAKING OF REGULATIONS AND SUBSIDIARY INSTRUCTIONS

3. Making regulations.

The Authority may make regulations for carrying out the purposes of the Act, in compliance with regulations 5 and 6 hereunder.

4. Making of subsidiary instructions.

- (1) Subsidiary instructions may be issued to carry out the purposes of the Act, or any regulations made thereunder, including for:
 - (a) providing terms, conditions or requirements to be complied with, in respect of any financial product, financial service or financial institution;
 - (b) outlining the meaning, scope, or intent of any provision;
 - (c) providing clarification on any provision;
 - (d) laying down any procedural requirement; or
 - (e) addressing any other matter necessary for effective implementation of the Act or regulations made thereunder.
- (2) The public consultation process, as specified under regulations 5 and 7, shall be followed before issuing any subsidiary instructions covered under clause (a) or (b) of sub-regulation (1).

CHAPTER III

PROCEDURE OF PUBLIC CONSULTATION, APPROVAL OF REGULATIONS AND SUBSIDIARY INSTRUCTIONS

5. Publishing consultation paper of the proposed regulations or subsidiary instructions.

Public comments shall be sought, prior to making regulations or subsidiary instructions specified under sub-

regulation (2) of regulation 4, by publishing the consultation paper on the website of the Authority, which shall include:-

- (a) a statement carrying norms advocated by international standard setting agencies and the international regulatory best practices, if any, relevant to the proposed regulations or subsidiary instructions;
- (b) a statement of the problem(s), if any, that the proposed regulations or subsidiary instructions seeks to address;
- (c) a statement carrying regulatory intent and objectives of the proposed regulations or subsidiary instructions;
- (d) the specific provision of any enactment(s) or regulations under which the Authority proposes regulations or subsidiary instructions, as the case may be;
- (e) the draft of proposed regulations or subsidiary instruction; and
- (f) the manner, process and timelines for receiving public comments.

6. Procedure of public consultation for proposed regulations.

(1) The Authority shall ordinarily provide a minimum of 21 calendar days for receiving public comments.

Provided that the Chairperson may, for the reasons to be recorded in writing, reduce the time period or dispense with the process of public consultation;

Provided also that such decision of the Chairperson shall be placed before the Authority for information.

- (2) Post public consultation, the proposed regulations along with the agenda containing compilation of public comments or their summary with the remarks thereon, shall be placed before the Authority.
- (3) The proposed regulations may be considered by the Authority in terms of the International Financial Services Centres Authority (Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2020.
- (4) If the Authority decides to approve the revised draft regulations, which is substantially different from the proposed regulations placed before it, it shall record the reasons for such deviation in writing.
- (5) The summary of public comments received, along with a general statement of response on the comments received and the substantial changes carried out by the Authority, if any, along with the justification thereof, shall be uploaded in the Authority's website, prior to the notification of regulations.
- (6) The regulations on being approved by the Authority shall be notified in the Official Gazette.
- (7) Upon examination of public comments received under sub-regulation (1), if it is warranted that substantive changes to the proposed regulations are necessary, and the Chairperson is of the view that such modifications if carried out in the proposed regulations would be substantially different from those set out in the consultation paper, he may direct to repeat the process of public consultation.

7. Procedure of public consultation for proposed subsidiary instruction.

(1) The Authority shall ordinarily provide a minimum of 21 calendar days for receiving public comments.

Provided that the Chairperson may, for the reasons to be recorded in writing, dispense with the process of public consultation or reduce the time period of it;

Provided further that every such decision of the Chairperson shall be placed before the Authority for information.

- (2) Public comments received on the proposed subsidiary instruction shall be reviewed and where necessary, modifications shall be proposed.
- (3) The modified proposed subsidiary instruction along with the compilation of public comments, or their summary with the remarks thereon, shall be placed before the Authority or before such officer to whom such power is delegated by it, as the case may be.
- (4) The proposed subsidiary instruction may be approved by the Authority or by such officer to whom such power may be delegated by it.
- (5) The summary of the public comments received shall be uploaded on the Authority's website, along with a general statement of its response on the comments, prior to the issuance of subsidiary instruction.

8. Additional consultation mechanism(s) and constitution of committee(s).

- (1) Notwithstanding anything contained above, the Authority may explore additional mechanism(s) for engaging with stakeholder(s), as considered appropriate.
- (2) Without prejudice to provisions of these regulations, the Authority may constitute and consult expert or advisory committees, as it may consider appropriate, for making recommendations in relation to drafting or reviewing of regulations and subsidiary instructions.
- (3) The Authority may constitute an Independent Thematic Review Committee(s) (ITRCs) to conduct focused and independent evaluations of high-priority regulatory themes inter-alia for the purpose of Regulatory Impact Assessment, on such terms as it may deem fit.

9. Regulations made in case of exigency.

Where the Authority is of the opinion that it is expedient in the interest of development and regulation of the financial services market that the time to be taken for public consultation process would defeat the purpose of the proposed regulations or may cause undue delay in redressing the problem or market failure, the Authority may dispense with the public consultation process specified under these regulations.

CHAPTER IV

AMENDMENT AND REVIEW OF REGULATIONS AND SUBSIDIARY INSTRUCTIONS

10. Amendment of regulations and subsidiary instructions.

Subject to provisions of regulation 6 and 9, an amendment to existing regulations or subsidiary instructions made under sub-regulation (2) of regulation 4, shall be made in compliance with the provisions of Chapter III.

11. Review of regulations.

- (1) Each regulation made under regulation 3 shall be reviewed every five years unless a review is warranted earlier, keeping in view:
 - (a) its objectives;
 - (b) its outcome;
 - (c) experience of its implementation;
 - (d) experience of its enforcement and the related litigation;
 - (e) global best practices, if any;
 - (f) its relevance in the changed environment;
 - (g) the scope for reducing redundancies;
 - (h) promoting ease of doing business; and
 - (i) any other factor considered relevant by the Authority.
- (2) Pursuant to the review, if any amendment is warranted, the regulation shall be amended in accordance with Chapter III.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

12. Non-applicability on certain matters.

- (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the provisions of these regulations shall not be applicable to
 - (a) the internal organisational matters of the Authority, including those governing the conduct of its meetings, administration and service conditions of its employees;

- (b) regulations and subsidiary instructions which deals with the procedural requirements or those which, in the opinion of the Chairperson, may not result in any substantive policy changes;
- (c) matters where the decision is being made in coordination with other government authorities or financial sector regulators;
- (d) matters concerning market integrity or national security where regulatory intervention may be required, for which larger public consultation may not be warranted; or
- (e) matters where the regulations or subsidiary instructions are required to be made in compliance with any other obligations arising out of international agreements, treaties or other such arrangements and no meaningful purposes would be served by public consultation.
- (2) The Authority shall be informed of such matters where the procedure laid down in these regulations are not made applicable.

13. Repeal and savings.

- (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Procedure for making Regulations) Regulations, 2021, shall stand repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the repealed regulations, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.
- (3) Subsidiary instructions issued prior to commencement of these regulations shall be deemed to have been issued under these regulations.
- (4) No regulations and subsidiary instructions issued prior or subsequent to the commencement of these regulations, or any action taken under the said regulations and subsidiary instructions, shall be invalid merely by reason of non-adherence to the procedure specified in these regulations.

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director [ADVT.-III/4/Exty./255/2025-26]